न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.

न. मु. 166/2025

1 पूनमचन्द प्रजापत पुत्र तोलाराम प्रजापत जाति प्रजापत निवासी खाखी जी कुंआ के पास दड़ीवा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.

प्रतिवादी

अर्जीदावा वास्ते घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 व प्रा. पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1 एडवोकेट मोहम्मद शाहिद वास्ते वादी/प्रार्थी
2 अप्रार्थी – पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 12/1/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी का खेत खाता नम्बर 129 खेत खसरा नम्बर 222/148 रकबा 2.1183 हैक्टेयर वाके रोही चक दड़ीबा में दर्ज है उपरोक्त खसरा भूमि में वादी पूनमचन्द प्रजापत पुत्र तोलाराम प्रजापत का नाम पूर्णमल पुत्र तोलाराम दर्ज है, वादी का वास्तविक और सही रेकार्डेड नाम पूनमचन्द प्रजापत पुत्र तोलाराम प्रजापत जाति प्रजापत अंकित है। वादी का समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड समस्त में नाम पूनमचन्द प्रजापत पुत्र तोलाराम प्रजापत दर्ज है राजस्व रेकार्ड में नाम पूर्णमल पुत्र तोलाराम होने के कारण समस्त प्रकार की दस्तावेजी कार्यवाही में भिन्नता होने के कारण मै प्रत्येक प्रकार का राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूँ, राजकीय अनुदान प्राप्त करने वास्ते, वादी को खातेदारी खेत पर कृषि ऋण प्राप्त करने वास्ते आवेदन करने पर समस्त प्रकार की कार्यवाहियां नेट से कनेक्ट होने के कारण आधार कार्ड, पैन कार्ड राशन कार्ड आदि से मिलान नहीं होने के कारण मै राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा हूँ। मुझ वादी को प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना का अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है इस वास्ते श्रीमान तहसीलदार महोदय के यहां सम्पर्क करने पर सम्बन्धित कर्मी द्वारा बताया गया की आपका नाम राजस्व रेकार्ड और आपके अन्य समस्त दस्तावेजों से भिन्न होने के कारण अनुदान नहीं मिल सकता, अतः मै वादी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अपने अन्य समस्त दस्तावेजों अनुसार दुरूस्त करवाना चाहता हूँ, उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि वादी प्रार्थी की पूर्वजों के वक्त की पैतृक सम्पति है वादी उक्त खाता खसरा का रेकार्डेड खातेदार होने की हैसियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी वादगत खेत खाता नम्बर 129

लगातार........ 2 पर

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

खेत खसरा नम्बर 222/148 रकबा 2.1183 हैक्टेयर रोही चक दड़ीबा तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं। उपरोक्त खाता एवं खसरा नम्बर रोही चक दड़ीबा तहसील बीदसर में स्थित है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अर्जीदावा स्वीकार कर रोही चक दड़ीबा के खेत खाता नम्बर 129 खेत खसरा नम्बर 222/148 रकबा 2.1183 हैक्टेयर के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नाम **पूर्णमल पुत्र तोलाराम** के स्थान पर **पूनमचन्द प्रजापत पुत्र तोलाराम प्रजापत** शुद्ध करने के आदेश अता फरमाये। प्रतिवादी अप्रार्थी सख्या 1 को मुताबिक निर्णय व डिक्री की पालना हेतू आदेशित किया जावे।

अर्जीदावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। हमने पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड दस्तावेजात को बगौर देखा। वादी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत अर्जीदावा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादी का अर्जीदावा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही चक दड़ीबा के खेत खसरा नम्बर 222/148 रकबा 2.1183 हैक्टेयर रकबा 2.1246 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार **पूर्णमल पुत्र तोलाराम** को हटाया जाकर **पूनमचन्द प्रजापत पुत्र तोलाराम प्रजापत** जाति कुम्हार शुद्ध दर्ज किये जावे। प्रतिवादी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। इस प्रकार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12/1/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते